न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : स्वदीप सिंह,
अध्यक्ष

प्रकरण कमांक अपील 2375–पीबीआर/2013 विरूद्ध आदेश दिनांक 23–5–2013 पारित द्वारा आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश, ग्वालियर प्रकरण कमांक आर.ई.सी. 28/2010–11.

.....

ग्वालियर एल्कोब्रयु प्रायवेट लिमिटेड
(फारमर्ली ग्वालियर डिस्टलरीज लिमिटेड)
रायरू फार्म, आगरा मुंबई रोड, ग्वालियर
द्वारा अजय कुमार दुबे पुत्र जे.सी. दुबे
डायरेक्टर,
निवासी रायरू फार्म ए.बी. रोड, ग्वालियर .....अपीलार्थी

विरूद्ध

मध्यप्रदेश शासन
द्वारा आबकारी आयुक्त, म.प्र.
मोतीमहल, ग्वालियर .....प्रत्यर्थी

श्री आर.के. उपाध्याय, अभिभाषक, अपीलार्थी

:: आ दे श ::

(पारित दिनांक 11 अप्रैल, 2014)

अपीलार्थी द्वारा यह द्वितीय अपील आबकारी अधिनियम, 1915 (जिसे संक्षेप में अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 62 (2) (सी) के अंतर्गत आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 23–5–2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि महालेखाकार, म.प्र. ग्वालियर के लेखा परीक्षण दल द्वारा सहायक आबकारी उपायुक्त, जिला ग्वालियर का 12/2006 से 11/2007 तक की अवधि का निरीक्षण किया गया । निरीक्षण अवधि 12/2006 लगायत

11/2007 में इस आशय की निरीक्षण टीप सहायक आबकारी उपायुक्त को भेजी गई कि अपीलार्थी इकाई द्वारा माह फरवरी, 2007 में 13 परमिटों पर 87,750 प्रुफ लीटर विदेशी मदिरा दिल्ली राज्य को निर्यात की गई थी । इन सभी परेषणों की मदिरा धौलपुर (राजस्थान) पुलिस द्वारा जप्त की गई थी, जिसका न्यायालय द्वारा माह नवंबर, 2007 में अपीलार्थी इकाई को सुर्पुदगी में दिया गया है । अपीलार्थी इकाई के स्टाक पंजी में दिनांक 14–11–2007 को 85681.2 प्रुफ लीटर मदिरा वापिस प्राप्त किए जाने का उल्लेख है । इस प्रकार निर्यात की गई मदिरा से प्राप्त मदिरा में 2068.8 प्रुफ लीटर कमी परिलक्षित हुई है, जिस पर विहित शुल्क रूपये 3,72,384 अपीलार्थी से वसूली योग्य थी, किन्तु उक्त राशि की वसूली नहीं की गई है । सहायक आबकारी उपायुक्त द्वारा उक्त राशि जमा कराने हेतु प्रकरण उपायुक्त आबकारी, संभागीय उड़नदस्ता, ग्वालियर को निराकरण हेतु भेजा गया । उपायुक्त आबकारी, संभागीय उड़नदस्ता द्वारा पत्र कमांक 725 दिनांक 14–12–2009 द्वारा संबंधित शुल्क 3,72,384/– रूपये वसूल किया जाना आदेशित किया गया । अतः सहायक आयुक्त आबकारी द्वारा सन्निहित शुल्क 3,72,384/– रूपये चालान द्वारा कोषालय में 7 दिवस में जमा करने संबंधी आदेश पारित किया गया । उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी इकाई द्वारा प्रथम अपील आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश, ग्वालियर के समक्ष प्रस्तुत की गई। आबकारी आयुक्त द्वारा दिनांक 23–5–2013 को आदेश पारित कर प्रथम अपील निरस्त की गई । आबकारी आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह द्वितीय अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ अपीलार्थी इकाई के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से केवल यही तर्क प्रस्तुत किया गया कि विदेशी मदिरा परिवहन के दौरान धौलपुर (राजस्थान) पुलिस द्वारा जप्त की गई थी, और अपीलार्थी इकाई को जप्त की गई मदिरा पुलिस से ही कम प्राप्त हुई है, अतः उक्त कमी के लिए अपीलार्थी इकाई जिम्मेदार नहीं है ।

4/ प्रत्यर्थी शासन की ओर से सूचना उपरांत भी कोई उपस्थित नहीं हुआ ।

5/ अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । सहायक आयुक्त आबकारी के प्रकरण के पृष्ठ 150 पर प्रथम सूचना रिपोर्ट संलग्न है, जिससे स्पष्ट है कि धौलपुर (राजस्थान) पुलिस द्वारा ट्रक जप्त किया गया है, और अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, धौलपुर (राजस्थान) द्वारा ट्रक ही

सुपुर्दगी दिये जाने के आदेश दिया गया है । अपीलार्थी की ओर से अधीनस्थ न्यायालयों सहित इस न्यायालय में ऐसा कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है कि धौलपुर (राजस्थान) पुलिस से ही कम मदिरा प्राप्त हुई है । इससे स्पष्ट नहीं हो रहा है कि धौलपुर (राजस्थान) पुलिस द्वारा ही कम मदिरा की सुपुर्दगी दी गई है । अतः अपीलार्थी इकाई के विद्वान अभिभाषक का यह तर्क मान्य किए जाने योग्य नहीं है कि धौलपुर (राजस्थान) पुलिस से ही कम मदिरा प्राप्त हुई है, जिसके लिए अपीलार्थी इकाई जिम्मेदार नहीं है । अपीलार्थी इकाई की ओर से आबकारी आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत आधारों पर आबकारी आयुक्त द्वारा विधि के प्रावधानों की विस्तृत विवेचना की जाकर आदेश पारित किया गया है, जिसमें कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता परिलक्षित नहीं होती है । दर्शित परिस्थितियों में आबकारी आयुक्त का आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 23–5–2013 स्थिर रखा जाता है। अपील निरस्त की जाती है ।

(स्वदीप सिंह)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर